

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक:एफ.16(1)(188)सामान्य / आईसीडीएस / 16 /

जयपुर, दिनांक

81256-288

15-5-18


उप. निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय :- महिला पर्यवेक्षकों के सेक्टर बदलने की सूचना देने बाबत ।
प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 21695-22031 दिनांक 10.02.17 एवं 42670-702
दिनांक 21.03.2017 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र को विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ.16(1)(188) सामान्य / आईसीडीएस / 16 / 21695-22031 दिनांक 10.02.17 के द्वारा परियोजना क्षेत्र में कार्यरत पर्यवेक्षकों को तीन वर्षों से अधिक एक ही परिक्षेत्र में कार्यरत नहीं रखे जाने एवं जो पर्यवेक्षक परियोजना के एक ही परिक्षेत्र (सेक्टर) में तीन या तीन से अधिक वर्ष से कार्यरत है, उनका सेक्टर अविलम्ब परिवर्तित किया जाकर सूचना निदेशालय में भिजवाने के निर्देश दिये गये थे ।

इस सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 42670-702 दिनांक 21.03.2017 द्वारा आपके अधीन "समस्त परियोजना अधिकारियों द्वारा विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.16(1)(188)सामान्य / आईसीडीएस / 16 / 21695-22031 दिनांक 10.02.17 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करदी गयी है, तथा जिले की कोई भी महिला पर्यवेक्षक तीन वर्ष से अधिक एक ही परिक्षेत्र में कार्यरत नहीं है" के आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय की ई मेल dda.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि आप उक्त परिपत्र की पूर्ण पालना कर सुनिश्चित करते हुए पालना रिपोर्ट दिनांक 25.05.2018 की बैठक में साथ लेकर आवें ।


उप. निदेशक(प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।